उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–4370–औ0सं0/2014–8– M/92 दिनांक : ~~दिसम्बर, 2014~~ 6.1.15

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषयः– विद्युत दुर्घटनाओ की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के पत्र संख्या–1475 दिनांक 28.11.2014 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आयोग द्वारा विद्युत दुर्घटनाओ की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत दुर्घटना के कारणो एवं उसके रोकथाम किये जाने के उपाय करने की आकांक्षा की हैं जो कि डिस्काम के प्रबन्ध निदेशको को भी सम्बोधित कर प्रेषित की गयी हैं।

जैसा कि आपको विदित हैं कि कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर विद्युत दुर्घटनाओ को रोकने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं एवं डिस्काम व क्षेत्रीय स्तर पर अनुपालन कर नियमित समीक्षा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी ने विद्युत दुर्घटनाओ की रोकथाम के सम्बन्ध में परिपत्र सं0–220/पी0एस0एम0डी0/13 दिनांक 30.07.2013 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये हैं। यह बात संज्ञान में आयी हैं कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत दुर्घटनाओ की रोकथाम हेतु कारपोरेशन मुख्यालय से दिये जा रहे निर्देशो के अनुरूप विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने, लाइनो/उपकेन्द्रो का समुचित व ससमय अनुरक्षण आदि कार्य नही किये जा रहे हैं जिस कारण विद्युत दुर्घटनायें बढ़ रही हैं। जिस कारण जनहानि, पशुहानि, सम्पत्तियों एवं फसलों के नष्ट होने के कारण कारपोरेशन को अनुग्रह धनराशि के रूप में वित्तीयभार वहन करना पड़ता हैं, एवं मा0 राष्ट्रीय व उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग के आदेशो के अनुपालन में क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान करना पड़ रहा हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता हैं कि कारपोरेशन द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये तथा इसका डिस्काम स्तर पर नियमित रूप से अनुश्रवण भी किया जाये जिसकी आख्या प्रतिमाह अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाये एवं विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में यथावांछित उपाय करें तथा उक्त से समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत कराये।

संलग्नक :–यथोपरि।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

संख्या–4370–औ0सं0/2014 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, किसान मण्डी भवन, दूसरा तल, गोमती नगर, लखनऊ को उनके पत्र सं0–UPERC/Secy/DISCOMs/14–1475 दिनांक 28 नवम्बर, 2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0, विभूति खण्ड–2 गोमती नगर, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, वेब, शक्ति भवन लखनऊ को uppcl.org पर अपलोड करने के निर्देश सहित।

Room No –407

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission

Kisan Mandi Bhawan, II Floor, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail secretary@uperc.org

Arun Kumar Srivastava
Secretary

No: UPERC/Secy/ DISCOMs./14- 1475
Dated: 28th November, 2014

Reminder

To,

1. **Chairman,** U. P. Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan, 14 –Ashok Marg, Lucknow.
2. **Managing Director**, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, 4 – Gokhale Marg, Lucknow.
3. **Managing Director**, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Urja Bhawan 220 KV Sub-Station, Bypass Road, Agra – 282007
4. **Managing Director**, Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Victoria Park, Meerut.
5. **Managing Director,** Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Vidyut Bhawan, DLW, Varanasi.
6. **Managing Director**, Kanpur Electricity Supply Company Limited, 14/71, Civil Lines, KESA House Kanpur.

Sir,

From the newspaper reports increasing incidences of the electrical accidents are coming to the notice of the Hon'ble Commission and the fact that the cases are not being expedited where the fault lies with the Discoms, i.e. no compensation has been paid to the affected consumers. This is despite the fact that the Commission had issued instructions from time to time for their expeditious disposal under IER, 1956. Not only it calls for usage of protection and safety systems for preventing their occurrence, but it also calls for expeditious disposal of the case where the accident has already occurred. It reflects on the sensitivity and the reputation of the services provided by the Discoms. From a figure of 494 deaths reported from accidents in 2003-04, the figure is 611 in 2013-14, whereas the total number of electrical accidents were 1204 in 2013-14, which calls for analysis on the causes of accidents and suitable measures to prevent their re-occurrence.

A specific case reported by Sri. K.N Srivastava, Member of National Disaster Management Authority , Govt. of India to the Hon'ble Chairman of UPERC was put up to the MD, Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. vide Secretary, UPERC's letter no.UPERC/Secy/2014-202 dt. 7th May,2014 and information personally communicated on phone also, remained

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission
Kisan Mandi Bhawan, II Floor, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail secretary@uperc.org

unattended even after a lapse of four and a half months. This calls for a serious attention and action on the erring officials.

Hon'ble Chairman has seriously viewed the way in which these matters are being attended to by the officers of the Discoms leading to very poor reflections on the higher authorities even in the other States.

It is requested that the directions to all concerned may strictly be issued to accord highest priority in the matters of electrical accidents, as also in their prevention by taking systematic measures.

Thanking you,

Encl: A/c

Yours Sincerely,

(Arun Kumar Srivastava)
Secretary

(5)